35

संख्या–2356 /XVIII-(2)/15-4(44)/2014 TC

प्रेषक,

आर. मीनाक्षी सुन्दरम्,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 01 अक्टूबर सितम्बर, 2015

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में एस.पी.ए. (आर) के अंतर्गत खिमौत्रा–सरनौल से सरूताल–हनुमान चट्टी ट्रैक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–738/2–34(टी0ए0सी0), दिनांक 21.11.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उपरोक्त विषयक प्रस्ताव वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्रावली संख्या–12(39)/2014 में धनावंटन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2013 में आयी भीषण प्राकृतिक आपदा, बाढ़ एवं बादल फटने आदि के कारण क्षतिग्रस्त खिमौत्रा–सरनौल से सरूताल–हनुमान चट्टी ट्रैक मार्ग के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन की कुल धनराशि ₹ 185.70 लाख के सापेक्ष वित्त विभाग की टी.ए.सी. द्वारा परीक्षणोपरान्त ₹ 185.70 लाख की धनराशि औचित्यपूर्ण पायी गई। हाई पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 08.07.2014 की बैठक में ₹ 176.00 लाख (₹ एक करोड़ छिहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अनुमोदित की गई है, किन्तु भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत परियोजनाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹ 175.00 लाख की ही धनराशि अवमुक्त की गई है। अतः उक्त योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में ₹ 175.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने तथा व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा एस.पी.ए./केन्द्र पोषित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा तथा परियोजना की अवशेष लागत का वहन बचतों से अथवा विभागीय बजट के माध्यम से किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में संबंधित जिलाधिकारी/प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

3– धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

4– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से आंगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

5– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जायेगी।

7– आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड, राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(7)

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड/सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची के आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2016 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

11– प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12– यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उल्लिखित कार्यों/योजनाओं पर मानकानुसार यथाप्रक्रिया भारत सरकार आदि का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

13– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

14– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0104–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अन्तर्गत कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं हेतु अनुदान–24–वृहत निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ.प.सं.–56 P/XXVII(5)/2015, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव

संख्या–2356 (1)/XVIII-(2)/15-4(44)/2014 TC, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4– निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
7– मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उत्तरकाशी।
8– बजट अधिकारी, बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– प्रभारी अधिकारी, मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम्)
प्रभारी सचिव